

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

11 दिसंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 एनबीएफ़सी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिए हैं।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1	जेम इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2 मिंटो पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700027	05.02848	25 अगस्त 1998	04 नवंबर 2025
2	श्री लखवी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमसीए पोर्टल के अनुसार नाम - जेनलैब्स एथिका लिमिटेड)	प्लॉट नंबर 194-195, तीसरी मंजिल, इंडस्ट्रियल एरिया, फेझ II, राम दरबार, चंडीगढ़ - 160002	13.00949	05 अगस्त 1998	07 नवंबर 2025
3	विस्तार फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड	100, डायमंड हार्बर रोड, रूम नं.-1, खिद्दिरपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700023	बी.05.04444	28 सितंबर 2001	10 नवंबर 2025
4	अंबिका बार्टर प्राइवेट लिमिटेड	505, जैस्मीन टॉवर, 5वीं मंजिल, 31, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700017	बी.05.02430	11 जुलाई 2005	10 नवंबर 2025

अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक